



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219982
CG-DL-E-17062020-219982

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]
No. 300]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2020/ज्येष्ठ 27, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISHTHA 27, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

सा.का.नि. 391(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मानसिक रोग अस्पताल, रांची में मनोविज्ञान के असोसिएट प्रोफेसर, मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर मनःचिकित्सा (सामाजिक कार्य) भर्ती नियम, 1975 को, जहां तक उनका संबंध सहायक प्रोफेसर मनोविज्ञान से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में नैदानिक मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में नैदानिक मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नैदानिक मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर	4* (चार) 2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी	आवश्यक : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान में एम. फिल। 3. किसी मनःचिकित्सा अस्पताल, मनःचिकित्सा क्लिनिक, बाल मार्गदर्शन क्लिनिक या किसी सामान्य अस्पताल के मनःचिकित्सा विभाग में नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में तीन वर्ष शिक्षण या अनुसंधान का अनुभव। वांछनीय: 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान या मानव विज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री। 2. व्यक्तिगत और सामूहिक मनःचिकित्सा और परामर्श तकनीक में तीन वर्षों का अनुभव। टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के

					उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)	अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण 1: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो- (क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सादृश पदधारित किए हुए हों; और (ii) स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) में शामिल होंगे:- 1) उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष 2) निदेशक, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य 3) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/05/2019-एमई]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th, June 2020

G.S.R. 391(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Hospital for Mental Diseases, Ranchi Associate Professor of Psychology, Assistant Professor of Psychology and Assistant Professor Psychiatric (Social Work) Recruitment Rules, 1975, in so far as they relate to the post of Assistant Professor of Psychology except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Professor of Clinical Psychology in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Assistant Professor of Clinical Psychology (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Professor of Clinical Psychology.	4* (2020) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 (Rs. 56100 – 177500/-).	Not applicable.	Not exceeding thirty five years. (Relaxable for departmental candidates upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-	Essential: 1. Masters Degree in Psychology or Clinical Psychology from a recognized University or Institute. 2. M.Phil in Clinical Psychology from a recognized University or Institute. 3. Three years teaching or research experience as Clinical Psychologist in a Psychiatric Hospital, Psychiatric Clinic,

					limit shall be the closing date of receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep.	Child Guidance Clinic or Department of Psychiatry in a General Hospital. Desirable: 1. Doctorate Degree in Clinical Psychology or Anthropology or Social Psychology or Sociology from a recognized University or Institute. 2. Three years experience in individual and Group Psychotherapy and Counseling techniques. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	One year for direct recruits	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular	Not applicable	Group 'A' Departmental Confirmation Committee : (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director General, Directorate General of Health Services – Chairman 2. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi -Member 3. Director (Medical Education), Directorate General of	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

		basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.		Health Services -Member.	
--	--	---	--	--------------------------	--

[F. No. A-12018/05/2019-ME]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor